कार्यालय तहसीलदार डिबाई

पत्रांक 484(10) /र0का0 दिनांक – 18 अप्रैल 2017

## प्रेस विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील डिबाई के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों/पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 10 वर्षीय पटटा आवंटन शिविर का आयोजन शासनादेश संख्या 3756–1–2/95 रा0–0 दिनांक –17–10–1995 एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के अनुसार पंजीकरण मछुआ समितियों /समुदाय/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर तहसील डिबाई के सभागार में दिनांक 12.05.2017 को तथा उक्त दिनांक को नीलामी के पश्चात अवशेष रहने पर दिनांक 22.05.2017 इसके उपरान्त पोखर/तालाब नीलामी होने से अवशेष रहने पर दिनांक 14.06.2017 को प्रातः 11 बजे किया जाऐगा । मत्स्य पालन पटटा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों से प्रातः 10 बजे से अपराहन 2 बजे तक लिऐ जाऐंगे। अपराहन 2 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जाऐगा ,तथा अपराहन 2 बजे के बाद सामान्य वरीयता समूह में नीलामी के आधार पर आवंटन की कार्यवाही की जाऐगी। नीलामी की धनराशि उ0प्र0 राजस्व सहिता नियमावली 2006 में निहित प्रावधान के अनुसार होगी। उपस्थित व्यक्तियों मे से समान वरीयता समूह में सर्वाधिक बोली के आधार पर मत्स्य पालन पटटा आवंटन कार्यवाही की जाऐगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति खसरा, खतौनी जाति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की तिथि से 6 माह पुराना न हो) प्रार्थना पत्र के साथ नियत तिथि समय स्थान पर उपस्थित होकर आवंटन की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हो सर्वाधिक बोली दाता को नीलामी के तत्काल उपरान्त 10 वर्षीय लगान का 1/4 भाग जमा करना होगा।पटटा स्वीकृति/अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई को होगा।

| क0सं0 | ग्राम का नाम | गाटा सं0 | क्षेत्रफल(हे0में ) | क0सं0 | ग्राम का नाम | गाटा सं0 | क्षेत्रफल(हे0में ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गंगागढ | 101मि | 1.119 | 9 | त्रिलोकपुर | 88 | 0.304 |
| 2 | रामबिलौनी | 147मि | 1.138 | 10 | दोगवा | 349 | 0.684 |
| 3 | पोखरपुर | 498 | 0.335 | 11 | बिरौरा | 1502 | 0.594 |
| 4 | रामपुर | 478 | 1.227 | 12 | जलालपुर जटट | 377स | 0.748 |
| 5 | बडेाडा | 132स | 0.942 | 13 | खुशरूपुर | 275 | 0.632 |
| 6 | जरगवा | 39 | 0.443 | 14 | असदपुर घेड | 87 | 0.291 |
| | | 1269 | 0.317 | | | 339 | 0.556 |
| 7 | संगदलनपुर उर्फ रतनपुर | 298 | 1.733 | 15 | बगठारी | 378 | 1.265 |
| 8 | औरंगाबाद कसेर | 889 | 1.607 | 16 | रसूलपुर उर्फ नरायनपुर | 79 | 2.176 |
| | | | | | | 88 | 1.012 |
| | | | | | | 89 | 1.012 |
| | | | | | | 534 | 0.70[illegible] |
| | | | | | | 569 | 0.419 |
| | | | | | | 571 | 3.180 |
| | | | | | | 572 | 0.578 |
| | | | | | | 622 | 3.173 |

तहसीलदार
डिबाई।

पत्रांक /र0का0 /मत्स्य पटटा/2015–16 दिनांक –

प्रतिलिपिः–

1– जिलाधिकारी महोदया बुलन्दशहर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ।
2– उपजिलाधिकारी महोदय डिबाई की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3– उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सिकन्द्राबाद/खुर्जा/स्याना/अनूपशहर/शिकारपुर/बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हुते।
4– सहायक निदेशक मत्स्य , बुलन्दशहर की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवयश्क कार्यवाही हेतु एवं मछुआ समुदाय को अवगत कराने हेतु।
5– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी , बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ कृपया नेट पर डालने का कष्ट करें।
6– अपर जिला सूचना अधिकारी , बुलन्दशहर को उक्त विज्ञप्ति स्थनीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने हेतु प्रेषित।
7– राजस्व निरीक्षक डिबाई/दानपुर को इस निर्देश के साथ कि वह अपने क्षेत्र से सम्बन्धित उक्त ग्रामों के लेखपालों को इस विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार हेतु भूमि प्रबन्धक समिति के माध्यम से मुनादी कराने तथा मुनादी की प्रति निर्धारित पटटा शिविर की तिथि को कार्यालय में प्रस्तुत कराने हेतु।
8– नायब तहसीलदार दानपुर /नीलामी अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9– खण्ड विकास अधिकारी डिबाई /दानपुर को इस अनुरोध के साथ विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार करायें।
10– सम्बन्धित ग्राम सभा प्रधान / अध्यक्ष भूमि प्रबन्धक समिति को सूचनार्थ।

18-4-17
तहसीलदार
डिबाई।

r-k2014